राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,राजस्थान, जयपुर
फोन न. 0141–2221463, Email ID: uhcrajasthan@gmail.com

F.42 (504)NHM/HWC/CHO-2020-21/ 1019 Date:- 06/09/2021

आदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) के संविदा पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 31.08.2020 के क्रम में दिनांक 10.11.2020 को स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा कर दस्तावेज सत्यापन उपरान्त विज्ञप्ति क्रमांक 1004–05 दिनांक 08.05.2021 के द्वारा चयन सूची जारी की जाकर चयनित अभ्यर्थियों कोविभागीय आदेश क्रमांक 803 दिनांक 10.05.2021 से कोविड प्रबंधन हेतु जिलों में लगाया गया है।

उक्त चयनित अभ्यर्थियों को, शेष अभ्यर्थियों (जिन्हेंBPCCHN Courseकरवाया जाकर सफलता पूर्वक उत्तीर्ण होने के उपरान्त) के साथसमग्र रूप से इकजाई मेरिट कम जिला प्राथमिकता के आधार पर HWC केन्द्रों पर संविदा सीएचओ के रूप मेंलगायाजायेगा।

संलग्न सूची **परिशिष्ट – "ए"** के अनुसार उन अभ्यर्थियों को जिन्होने IGNOUसे पूर्व में ही BPCCHN Course उत्तीर्ण कर रखा है, उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया में अन्य अभ्यर्थियों के BPCCHN Course उत्तीर्ण करने तक उनके नाम के सम्मुख अंकित जिलों में एचडब्ल्यूसी केन्द्रो पर कार्यव्यवस्थार्थ लगाया जाता है।

उक्तानुसार जिले में लगाये जा रहे संविदा कार्मिकों के कार्यग्रहण के सम्बन्ध में निम्न लिखित दिशा निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जावें:–

1. संलग्न सूची **परिशिष्ट – "ए"** में वर्णित समस्त अभ्यर्थी इस आदेश के जारी होने के 10 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से अपने कार्य व्यवस्था हेतु आवंटित जिले में समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों सहित कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।
2. यदि कोई अभ्यर्थी आदेश जारी होने की दिंनाक से 10 दस दिवस की समय सीमा में निर्धारित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करता है तो उसकी नियुक्ति समाप्त समझी जायेगी।
3. निर्धारित अनुबंध का प्रारूप आदेश के साथ **परिशिष्ट – "बी"** पर संलग्न है, जिसके आधार पर नव नियुक्ति संविदा कार्मिक के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया जाना है।
4. संविदा कार्मिको को प्रथमतः तीन माह के लिये अनुबंध पर लगाया जावेगा। तीन माह पश्चात संविदा कार्मिकों की सेवाओ के मूल्याकंन के आधार पर उनकी सेवा अवधि को भारत सरकार से प्राप्त अनुमति अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष अवधि) तक के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
5. अनुबंधित संविदा कार्मिकों को समेकित मासिक मानदेय रू. 25000/– अक्षरे (पच्चीस हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह देय होगा। मानदेय के अतिरिक्त हैल्थ वैलनेस सेन्टर पर सेवाएं प्रदान करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में कुल राशि 15,000/– अक्षरे (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) को निर्धारित 15 इंडीकेर्टस के लिए 1000/–अक्षरे (एक हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह प्रति इंडिकेटर Performance Based Incentive के रूप में अधिकतम दिया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई परिलाभ देय नही होगें। इस संबंध में आगामी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा परियोजना के अन्तर्गत जारी विशिष्ठ प्रावधानों के अध्यधीन होगी।

6. इस संबंध में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों (विज्ञप्ति में उल्लेखित अनुसार आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र) की जांच कर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की एक–एक स्वप्रमाणित छाया प्रति रिकॉर्ड में रखते हुए चिकित्सा प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार) **परिशिष्ट–"सी"** एवं चरित्र प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार) **परिशिष्ट–"डी"** एवं रू. 100/–अक्षरे (सौ रूपये मात्र) के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर के साथ कार्यग्रहण करवाकर अनुबंध (संलग्न प्रारूप अनुसार) **परिशिष्ट–"बी"** निष्पादन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

7. संलग्न सूची में वर्णित अभ्यर्थियों को आवंटित जिले में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) के रिक्त पद पर कार्य व्यवस्थार्थ लगाया जाकर, इसकी रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्यक रूप से ई–मेल आई.डी **uhcrajasthan@gmail.com** एवं **co.hrd.nhm@gmail.com** पर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

8. यह आदेश वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के संविदा सेवा संबंधी परिपत्र 2014 एवं भारत सरकार की पीआईपी के प्रावधानों के अध्याधीन है। संविदा सेवा में अनुबंध के विपरीत आचरण, बगैर अनुमति कार्यस्थल छोडने, अनुचित व्यवहार करने, स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने पर संविदा सेवा समाप्त (Deemed Termination) मानी जायेगी।

9. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अभ्यर्थियों को आगामी 15 दिवस में जिले में संचालित हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर्स में आवश्यकतानुसार लगाये जाने के उपरान्त सूचना क्रिस (CHRIS) सॉफ्टवेयर **परिशिष्ट–"ई "** में इन्द्राज करवाना सुनिश्चित करें।

10. सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) के पद पर नियुक्त उक्त कार्मिकों द्वारा हैल्थ वैलनेस सेन्टर पर किये जाने वाले कार्य समय, ड्रेस कोड, रिर्पोटिंग के सम्बन्ध में टी.ओ.आर **परिशिष्ट–"एफ"** संलग्न है।

11. यह आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में संविदा सीएचओ भर्ती–2020 से सम्बन्धित लंबित प्रकरणों के अध्याधीन है।

12. संविदा सीएचओ के चयनित अभ्यर्थियों के कोविड एक्टिव केसेजे के आधार पर पूर्व में जारी विभागीय आदेशो के क्रम में संलग्न सूची में वर्णित अभ्यर्थियों में से जिलो में कार्यरत अभ्यर्थियों को संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तत्काल कार्यमुक्त करे, ताकि उपरोक्तानुसार उनके द्वारा नवीन जिलो में उपस्थिति प्रदान की जा सके।

13. संलग्न सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों द्वारा यदि पूर्व विभागीय आदेशक्रमांक 20(504)एनएचएम/एचडब्ल्यूसी/भर्ती/2020/803 दिनांक 10.05.2021 **परिशिष्ट–"जी"** एवं एफ.20(504) एनएचएम/एचडब्ल्यूसी / भर्ती/20 /834 दिनांक 11.06.2021 **परिशिष्ट–"एच"** के क्रम में दिनांक 30.06.2021 तक कार्यग्रहण नहीं किया है, उन्हें सक्षम स्तर से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में संविदा सीएचओ के पद पर कार्यग्रहण हेतु इस आदेश के जारी होने की तिथी से 10 दिवस का शिथिलन दिया जाता है।

06-09-21

मिशन निदेशक
एनएचएम

F.42 (504)NHM/HWC/CHO-2020-21/ 1019 Date:- 06/09/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
3. निजी सहायक, विशिष्ठ शासन सचिव, एवं मिशन निदेशक, एनएचएम राजस्थान।
4. निजी सहायक, निदेशक, जन स्वास्थ्य/आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 सरकार।
5. संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग जयपुर।
6. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम।
7. निदेशक, वित्त एनएचएम।
8. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
9. राज्य नोडल अधिकारी, एचडब्ल्यूसी, एनएचएम।
10. अनुभाग अधिकारी, एचआर।
11. संयुक्त निदेशक, समस्त जोन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
13. सम्बन्धित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, समस्त जिले राजस्थान को आवश्यक पालनार्थ।
14. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी समस्त जिले को आवश्यक पालनार्थ।
15. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम।
16. वर्णित समस्त कार्मिकों को पालनार्थ।
17. सम्बन्धितअभ्यर्थियों को कार्यग्रहण हेतु सूचनार्थ।
18. प्रभारी, सर्वर कक्ष को सम्बन्धित को ई–मेल एवं वेबसाईट पर प्रकाशित किये जाने हेतु।
19. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक
एनएचएम

Annex G

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक एफ.20 (504) एनएचएम/ HWC /भर्ती/2020/ 803 दिनांक 10/05/21

आदेश

1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सीएचओ के 7810 पदों पर संविदा भर्ती हेतु विज्ञप्ति दिनांक 31.08.2020 जारी कर आवेदित अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 10.11.2020 को स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाकर दस्तावेज सत्यापन उपरान्त विज्ञप्ति क्रमांक 1004–05 दिनांक 08.05.2021 के द्वारा चयन सूची जारी की गई है।
2) उपरोक्त चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की सेवायें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पत्र क्रमाक प.1(1)चिस्वा/ ग्रुप–2/2020 दिनांक 27.04.2021 में वर्णित शर्तो के अधीन जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार वर्तमान कोविड परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक कोरोना वायरस COVID-19 के नियन्त्रण कार्यो हेतु संलग्न सूची के अनुसार अस्थाई रूप से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपी जाती है। उक्त अभ्यर्थियों को इस अवधि में एनएचएम के जीएनएम पद हेतु पीआईपी में स्वीकृत समेकित मानेदय 7900 रू. प्रतिमाह देय होगा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वित्तिय परिलाभ देय नही होगें। संबंधित सीएमएचओ इस मानदेय का भुगतान DBT के माध्यम से भारत सरकार से कोविड–19 के स्पेशल बजट (B 31.4) में प्राप्त राशि से किया जायेगा। इन अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नही है।
3) चयनित अभ्यर्थी इस आदेश के जारी होने के तीन दिवस में संलग्न सूची अनुसार संबंधित संभाग के संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगें। निर्धारित अवधि में उपस्थित नही होने वाले अभ्यर्थी संविदा सीएचओ के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगे तथा संबंधित संभाग के संयुक्त निदेशक उपस्थित नही होने वाले अभ्यर्थीयों की सूचना तुरन्त एनएचएम मुख्यालय में प्रेषित करेगें। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के स्थान पर प्रतिक्षा सूची से अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
4) सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संबंधित संभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थियों को एक दिवस का ओरियन्टेशन प्रशिक्षण करवाया जायेगा। तत्पश्चात् अभ्यर्थियों को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
5) चयनित अभ्यर्थी ओरियन्टेशन प्रशिक्षण के अगले कार्य दिवस में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में कार्यग्रहण करेगें तथा कार्यग्रहण के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार), वैध फोटो आई डी की स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में कार्यग्रहण नही करने पर चयनित अभ्यर्थी को संविदा सीएचओ नियुक्ति हेतु पात्र नही माना जायेगा।
6) उपरोक्त अभ्यर्थियों के लिए संविदा सीएचओ भर्ती–2020 की विज्ञप्ति में वर्णित शर्तो के अधीन निर्धारित Bridge Programme Certificate (Course) in Community Health for Nurses कोर्स हेतु प्रशिक्षण परिस्थितियां सामान्य होने पर आयोजित किया जायेगा, जिसे सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के आधार पर जिला आवंटित किया जाकर संविदा सीएचओ के पद पर नियुक्ति आदि की कार्यवाही का निर्णय परिस्थितियों के सामान्य होने के बाद लिया जावेगा।
7) चयन सूची में शामिल वे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व से ही IGNOU/University के माध्यम से सफलतापूर्वक Bridge Programme Certificate (Course) in Community Health for Nurses उत्तीर्ण कर रखा है, वे अपनी उपस्थिति राज्य नोडल अधिकारी, HWC एनएचएम मुख्यालय, जयपुर को आदेश जारी होने के तीन दिवस में मूल दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करे।

D:\Letter Hindi_12020-21.docx

8) इन अभ्यर्थीयों का कार्यग्रहण उनके द्वारा प्रस्तुत सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जांच के अध्यध्यीन रहेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज मिथ्या/गलत पाये जाते है तो उनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी ।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

→ संलग्न सूची

(सुधीर कुमार शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

क्रमांक एफ.20 (504) एनएचएम/HWC /2020/803

दिनांकः 10/05/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, चिकि. स्वा0 विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य)/निदेशक, (आरसीएच), एनएचएम, जयपुर।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
8. निदेशक वित्त, एनएचएम, जयपुर।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संबंधित जोन।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
11. एस.एन.ओ. HWC Cellए एनएचएम, जयपुर।
12. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, राजस्थान।
13. प्रभारी —सर्वर रूम को ईमेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. अनुभाग अधिकारी एच.आर
15. रक्षित पत्रावली।

राज्य नोडल अधिकारी,
एचडब्लयूसी, एनएचएम

D:\Letter Hindi_12020-21.docx

Annex H

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक एफ.20 (504) एनएचएम / HWC / भर्ती / 2020 / 834 दिनांक: 11/06/2021

विज्ञप्ति

विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमाक 803 दिनांक 10.05.2021 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सीएचओ के 7810 पदों पर संविदा भर्ती उपरान्त जारी चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की सेवायें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पत्र क्रमाक प.1(1)चिस्वा/ ग्रुप–2/2020 दिनाक 27.04.2021 में वर्णित शर्तो के अधीन जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार वर्तमान कोविड परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक कोरोना वायरस COVID-19 के नियन्त्रण कार्यो हेतु अस्थाई रूप से क्षेत्रीय कार्यालय सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपी जाकर तीन दिवस में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था ।

राज्य सरकार द्वारा वर्तमान कोविड–19 महामारी की परिस्थितियों एवं लॉक डाउन को दृष्टिगत रखते हुये संविदा सीएचओ भर्ती–2020 के चयनित अभ्यर्थियों जिनके द्वारा अभी तक कार्यग्रहण नही किया गया है उन्हें अन्तिम रूप से दिनांक 30.06.2021 तक आवंटित जिलों में कार्यग्रहण करने की अनुमति दी जाती है । इस तिथि के पश्चात् संविदा सीएचओ भर्ती–2020 हेतु चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

(सुधीर कुमार शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

क्रमांक एफ.20 (504) एनएचएम / HWC / भर्ती / 2020 / 834 दिनांक: 11/06/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, चिकि. स्वा0 विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य) / निदेशक, (आरसीएच), एनएचएम, जयपुर।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
8. निदेशक वित्त, एनएचएम, जयपुर।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संबंधित जोन।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
11. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक / जिला लेखा प्रबंधक, राजस्थान।
12. प्रभारी –सर्वर रूम को ईमेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. अनुभाग अधिकारी एच.आर
14. रक्षित पत्रावली।

राज्य नोडल अधिकारी,
एचडब्लयूसी, एनएचएम

G:\HRO\E\CHO 21 08 2020\Letter Hindi_12020-21.docx